न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान) (28)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 62/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/71

अभियुक्त :–

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

1. श्री रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह जी राजपुरोहित मैसर्स – श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मोहन कोलोनी चौराया बॉसवाडा।
2. श्री भागीरथ सिंह राजपुरोहित मैसर्स – श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मोहन कोलोनी चौराया बॉसवाडा।

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 12–12–2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा हाल सिरोही (राज.) के द्वारा दिनांक 25–11–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 16–03–2022 को 2.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मोहन कोलोनी चौराया बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह जी राजपुरोहित** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर स्टील ट्रे में **लगभग 5–6 किलोग्राम मिल्क केक (दुध शक्कर व पिस्ता के टुकडो से बना)** आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखा करीब 5–6 किलोग्राम मिल्क केक (दुध शक्कर व पिस्ता के टुकडो से बना) मे से दो किलोग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु साफ, सुखी एवं खाली स्टील के भगोने में खरीदा तथा इनकी कीमत 800 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **दो किलोग्राम मिल्क केक (दुध शक्कर व पिस्ता के टुकडो से बना)** को चार साफ [illegible] की शीशी में बराबर–बराबर मात्रा में भरकर फार्मेलीन की 40–40 [illegible] डालकर शीशी का मुह [illegible] की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द कर नियमानुसार सील बन्द किया। [illegible] चार

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/145–146 दिनांक 18.04.2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 385 दिनांक 30.03.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **मिल्क केक (दुध शक्कर व पिस्ता के टुकडो से बना)** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा सब स्टेण्डर्ड पाये गये **मिल्क केक (दुध शक्कर व पिस्ता के टुकडो से बना)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 28–11–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 12.12.2022 को अभियुक्त **श्री रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह जी राजपुरोहित मैसर्स – श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मोहन कोलोनी चौराया बॉसवाडा, श्री भागीरथ सिंह राजपुरोहित मैसर्स – श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मोहन कोलोनी चौराया बॉसवाडा** ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणो द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/145–146 दिनांक 18.04.2022 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 385 दिनांक 30.03.2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **मिल्क केक (दुध शक्कर व पिस्ता के टुकडो से बना)** का नमुना Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner

स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस मरण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया **मिल्क केक (दुध शक्कर व पिस्ता के टुकडो से बना)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री रविन्द्र पुत्र प्रेमसिंह जी राजपुरोहित मैसर्स – श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मोहन कोलोनी चौराया बॉसवाडा को 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र), श्री भागीरथ सिंह राजपुरोहित मैसर्स – श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मोहन कोलोनी चौराया बॉसवाडा को 20,000/– (अक्षरे रू बीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 12–12–2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

12/12/2022

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2023.01.05 12:51:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with Oken Scanner